फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री प्रकाश जांगिड़ निवासी– 224, स्कुल की तरफ करणवा तहसील देसुरी जिला पाली

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गढ़बोर – प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या** 58 / 2024

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 21.08.2024 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गढ़बोर से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गढ़बोर से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गढ़बोर से जरिये क्रमांक– भू–अ./ सू.अ. अ./2024/1009 दिनांक 05.08.2024 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी श्री प्रकश जांगिड़ पुत्र श्री पुखराज 224 स्कूल की तरफ, करनवा तहसील देसूरी जिला पाली राजस्थान को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में कार्यालय हाजा के पत्र क्रमांक– भू–अ./सू.अ.अ./2024/963 दिनांक 25.07.2024 द्वारा अवगत करा दिया गया है कि आवेदन में 1 लगायत 4 बिन्दुओं की सूचना चाही गयी है आपके द्वारा 1 लगायत 4 बिन्दुओं में वर्णित चाही गयी सूचना का विवरण पूर्ण व स्पष्ट अंकित नहीं किया गया है जैसे कि किस गांव की, किस खसरा नंबर व खाता की या कौन कौन से काश्तकार की चाहिए साथ गांव का नाम भी अंकित न कर पटवार मण्डल का नाम अंकित किया गया है। प्रशासनिक सुधार विभाग, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.22 (16) प्रासु/सुअप्रा/2010 दिनांक 16.12. 2011 में दिये गये निर्देशानुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्या का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्य क्षैत्र से बाहर है। इस प्रकार आवेदन में पूर्ण विवरण अंकित न कर प्रश्नात्मक प्रश्नों के संबंध में सूचना चाही है। जिसका दिया जाना विधि सम्वत् नहीं है। राजस्व विभाग राजस्थान द्वारा समस्त प्रकार के नामान्तरण प्रक्रिया को वर्तमान में ऑनलाईन कर पेपरलेस किया जा चुका, यदि आपके पास सही विवरण हो तो ऑनलाईन प्राप्त कर सकते है। फिर भी यदि आपको प्रमाणित सूचना इस क़ार्यालय या पटवारी से चाहिए तो किसी भी कार्य दिवस में नियमानुसार आवेदन कर सूचना प्राप्त कर सकते है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गढ़बोर की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम ऑनलाईन अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी	B

न्यायालय जिला कलक्टर

तहसीलदार गढ़बोर की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा बिन्दु संख्या 1 से लगायत 4 की सूचना चाही गयी है जिनका विवरण पूर्ण व स्पष्ट अंकित नहीं किया गया है। उक्त संबंध में अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि आप द्वारा चाही गयी वांछित सूचना के संबंध में विशिष्टया अंकित कर पुनः आवेदन कर नियमानुसार वांछित सूचना प्राप्त करें। अतः उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता हैं।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गढ़बोर को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)